रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के लिए दिशानिर्देश

(संदर्भ: रेलवे बोर्ड का पत्र क्रमांक 2023/टीजी-आई/24/पी/पीटी. दिनांक 03.11.23)

1. समितियों/परिषद के सदस्यों से इस आशय की घोषणा प्राप्त की जाएगी कि उनके पास रेलवे से संबंधित लाभ का कोई पद (कार्यभार) नहीं है। वे किसी अन्य रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य नहीं हैं। साथ ही, उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।

2. रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समितियों/परिषद के सदस्यों को नामांकन पत्र (प्रोफार्मा) में लिखे उनके पदनाम के अनुसार पहचान-पत्र जारी किए जाएंगे।

3. रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समितियों/परिषद के सदस्य ट्रेन से मुफ्त यात्रा करने के हकदार नहीं हैं। उन्हें जारी किए गए पहचान पत्रों में यह वाक्य शामिल होना चाहिए - "यह पहचान पत्र किसी सदस्य को ट्रेन से मुफ्त यात्रा करने का अधिकार नहीं देता है।"

4. समिति/परिषद के सदस्यों के नाम रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शित नहीं किए जाने चाहिए। हालाँकि, सदस्यों के नाम उनके हितों के साथ जोनल/मंडल की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जा सकते हैं, जिसे समय-समय पर अद्यतन रखा जाएगा।

5. उपयोगकर्ताओं की परामर्शदात्री समितियों के गैर-आधिकारिक सदस्यों का पदनाम उनके लेटरहेड, विजिटिंग कार्ड आदि पर मुद्रित रूप से उनके नामांकन पत्र के अनुसार ही होना चाहिए। सदस्यों को अपने लेटरहेड, सीटों, क्रेस्ट, बैज, हाउस फ्लैग या किसी अन्य उद्देश्य के लिए राज्य प्रतीक (State Emblem) का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

6. रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समितियों/परिषद का कोई भी गैर-आधिकारिक सदस्य अपने लेटर हेड या विजिटिंग कार्ड पर अशोक चिन्ह (Ashoka Emblem) और भारतीय रेलवे प्रतीक चिन्ह (Indian Railway Insignia) का उपयोग करने का हकदार नहीं है। ऐसे सदस्यों को अपने लेटर हेड और विजिटिंग कार्ड पर अपने आधिकारिक पते के तौर पर रेल भवन, नई दिल्ली या जोनल/मंडल रेलवे मुख्यालय का उल्लेख नहीं करना चाहिए।

7. उपरोक्त दिशानिर्देशों के उल्लंघन के मामले में उचित समझी जाने वाली कार्रवाई की जा सकती है। रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समितियों/परिषद के सदस्यों को दी गई सुविधाओं का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति संगठन पर नोट

रेलवे उपयोगकर्ताओं का बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित मामलों और ऐसी सेवाओं की कार्यनिष्पादन में सुधार के उपायों पर रेलवे प्रशासन और उपयोगकर्ताओं के बीच परामर्श के अधिक अवसर प्रदान करने की दृष्टि से सरकार ने नीचे दर्शाए गए स्तर पर रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समितियों की स्थापना की है:

(i) मंडल स्तर पर रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति

(ii) प्रत्येक रेलवे के मुख्यालय में एक क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति: और

(iii) केंद्र में एक राष्ट्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री परिषद

कार्य

1. क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति रेलवे द्वारा सेवित क्षेत्रों में स्थानीय उपयोगकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और इनसे संबंधित मामलों पर विचार करती हैं:

(i) जिस क्षेत्र से समिति का संबंध है, उस क्षेत्र में सुख-सुविधाओं का प्रावधान।

(ii) समिति के क्षेत्राधिकार में नए स्टेशन खोलने के संबंध में प्रस्ताव।

(iii) समय-सारणी के संबंध में व्यवस्था।

(iv) रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं में सुधार।

(v) सामान्य सार्वजनिक हित या सार्वजनिक सुविधा का कोई भी विषय अथवा सेवाओं और सुविधाओं को प्रभावित करने वाला ऐसा मामला, जो उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रतिनिधित्व का विषय रहा है या जो उन्हें क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति, राष्ट्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री परिषद या प्रशासन द्वारा विचार के लिए भेजा गया है।

2. प्रत्येक रेलवे के मुख्यालय में क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति समग्र रूप से रेलवे द्वारा सेवित क्षेत्र या क्षेत्रीय रेल के उपयोगकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करती है और निम्नलिखित विषयों पर विचार करती है:

(i), समग्र ज़ोन के दृष्टिकोण से ऐसे सभी मामले जो कि पैरा 1 में संदर्भित हैं।

(ii) मंडल समितियों की रिपोर्टों से प्राप्त मामले, या पैरा 1 में निर्दिष्ट विषयों से संबंधित ऐसे अन्य मामले, जिन्हें मंडल समितियों द्वारा विचार के लिए विशेष रूप से अग्रेषित किया जाए: और

(iii) प्रशासन, रेल मंत्रालय या राष्ट्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री परिषद द्वारा विचार के लिए संदर्भित मामले और रिपोर्ट।

3. <u>प्रत्येक रेलवे के मुख्यालय की क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति</u> में रेलवे द्वारा सेवित क्षेत्र में सामान्य रेलवे उपयोगकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए रेल मंत्री द्वारा नियुक्त व्यक्ति शामिल होते हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

(i) रेलवे द्वारा सेवित राज्यों की सरकारों द्वारा अनुशंसित प्रत्येक राज्य का एक-एक प्रतिनिधि।

(ii) राज्य सरकारों द्वारा अनुशंसित राज्य विधानसभाओं का एक सदस्य।

(iii) प्रिंसिपल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स और ट्रेड एसोसिएशन के अधिकतम पांच प्रतिनिधि, जिनका कार्यकाल पांच साल से कम न हो।

(iv) कृषि संघों और अन्य निकायों के राज्य सरकारों द्वारा अधिकतम दो प्रतिनिधि भेजे जाएंगे जो ऊपर (iii) में निर्दिष्ट चैंबर ऑफ कॉमर्स आदि में शामिल या संबंध नहीं होंगे।

(v) प्रत्येक मंडल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति से चुना गया एक गैर-आधिकारिक प्रतिनिधि।

(vi) रेलवे द्वारा सेवित बंदरगाहों के मामले में बंदरगाहों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के दो प्रतिनिधि। उत्तरी सीमांत रेलवे पर प्रतिनिधित्व केवल एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को दिया जाएगा।

(vii) पंजीकृत यात्री संघ- रेलवे पर अधिक रूट किलोमीटर वाले राज्यों में से प्रत्येक राज्य से एक। हालाँकि, वे रेलवे जिनका अधिकार क्षेत्र मुख्यतः केवल एक राज्य द्वारा सेवित होता है और किसी अन्य राज्य में कोई सक्रिय पंजीकृत यात्री संघ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में एक क्षे.रे.उ.प.समिति में एक राज्य से दो पंजीकृत यात्री संघों को भी नामांकित किया जा सकता है। हालाँकि, ऐसे मामलों में, किसी भी जेडआरयूसीसी पर नामांकित पंजीकृत यात्री संघों की कुल संख्या दो से अधिक नहीं होगी।

क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समितियों (क्षे.रे.उ.प.समिति) के संगठन में उपरोक्त संशोधन रेलवे बोर्ड के पत्र क्रमांक 2013/टीजी-1/24/पी/पीटी-I दिनांक 30.04.2013 (वाणिज्य परिपत्र-2013 की संख्या 36) के अनुसार किया गया है।

(viii) (क) **क्षे.रे.उ.प.समिति**: क्षे.रे.उ.प.समिति में केवल 10 संसद सदस्यों (लोकसभा से 7 और राज्यसभा से 3) को नामांकित किया जाएगा।

(ख) लोकसभा से केंद्रीय मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र की सेवारत प्रत्येक क्षे.रे.उ.प.समिति में एक व्यक्ति को नामांकित कर सकते हैं।

(ग) राज्यसभा से केंद्रीय मंत्री अपने निर्वाचन के राज्य में आने वाले प्रत्येक क्षे.रे.उ.प.समिति में एक उम्मीदवार को नामांकित कर सकते हैं।

(यह रेलवे बोर्ड के पत्र क्रमांक 2008/टीजी.1/24/पी दिनांक 25.09.2008 के अनुसार निम्न प्रावधान है)

(ix) विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य को रेलवे के महाप्रबंधक की सिफारिश पर नामित किया जाएगा।

(x) उपभोक्ता संरक्षण संगठन का एक प्रतिनिधि।

(xi) माननीय मंत्रीजी द्वारा समिति के आवश्यक हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए "विशेष हित" सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है।

xii) दिव्यांग एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि।

दिव्यांग एसोसिएशन का नामांकन उपभोक्ता संरक्षण संगठनों, यात्री संघों, वाणिज्य एवं उद्योग चैंबर्स आदि को प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से महाप्रबंधक द्वारा घूर्णन पद्धती के आधार पर किया जाएगा।

4. उद्योग, वाणिज्य और व्यापार का प्रतिनिधित्व करने वाली क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समितियों के सदस्य आम तौर पर प्रमुख व्यापार हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले महत्वपूर्ण स्थानीय चैंबरों या

संघों से चुने जाते हैं और संबंधित राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित होते हैं। जब चैंबर या एसोसिएशन आदि को प्रतिनिधित्व के लिए माननीय मंत्रीजी द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो जाता है, तो वे अपने प्रतिनिधि का चयन चुनाव द्वारा या अन्यथा करते हैं, यह उन पर छोड़ दिया जाता है।

5. महाप्रबंधक क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष होंगे और उप महाप्रबंधक (सा.) या ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें महाप्रबंधक द्वारा इस उद्देश्य के लिए नामित किया जाएगा, समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

6. क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति का कार्यकाल **दो कैलेंडर वर्षों** के लिए है, जब तक कि अन्यथा सूचित न किया जाए। बैठकों की बारंबारता कार्य की अत्यावश्यकता के अनुसार आवश्यक होगी और जैसा समिति के अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

7. इन रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समितियों और राष्ट्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री परिषद के गैर-सरकारी सदस्य इन निकायों की समिति या परिषद या उप समिति की बैठकों में भाग लेते समय बोर्ड के दिनांक 25.06.2013 के पत्र क्रमांक 2012/टीजी.1/28/एनआर/सुझाव में निर्धारित यात्रा के लिए उचित सुविधाएं और यात्रा भत्तों का उपभोग करेंगे जिनके व्यय का वहन इन निकायों की समितियों या परिषद या उप समितियों द्वारा किया जाएगा।

8. **आधिकारिक प्रतीक चिह्न का उपयोग:**

गैर-सरकारी समितियों के सदस्यों के पदनाम उनके नामांकन पत्र के अनुसार ही उनके लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड आदि पर अधिसूचित और मुद्रित होने चाहिए। सदस्यों को अपने लेटर हेड और विजिटिंग कार्ड, सीटों, क्रेस्ट बैज, घर के झंडे या किसी अन्य उद्देश्य के लिए अशोक चिह्न और भारतीय रेलवे के प्रतीक चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। यदि कोई सदस्य इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी।

[रेलवे बोर्ड द्वारा क्षे.रे.उ.प.समिति के संबंध में समय-समय पर किए जारी किए गए अन्य दिशानिर्देश]

दौरा पास (कंडेकटेड-टूर पास)

क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के लिए केलेंडर वर्ष में दो बार (प्रत्येक पास दो माह की अवधि से अधिक नहीं (एक परिचर सहित) उनकी रेलवे के विभिन्न हिस्सों में रेलवे की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के दौरे के लिए व्यवस्था की जाती है। (हालांकि, यदि आयोजित दौरे के लिए पर्याप्त संख्या में सदस्य नहीं आ रहे हैं, तो क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के लिए उक्त आयोजित दौरे (जिसकी व्यवस्था रेलवे द्वारा नही की गई है) के लिए एक वापसी यात्रा के आधार पर उनकी पसंद के यात्रा कार्यक्रम के लिए व्यक्तिगत रूप से पास जारी करके यात्रा की सुविधाएं दी जाती हैं।

यात्रा भत्ता / दैनिकभत्ता

गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता की दरों की समीक्षा की गयी है तथा यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता की दरों को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया है: -

क्र. सं.	समिति का नाम	दैनिक भत्ता	
		बैठक के दिनों के लिए	यात्रा में व्यतित दिनों के लिए
1	मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति और उपनगरीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति	200/- रुपये प्रति दिन	100/- रुपये प्रति दिन
2	ज़ोनल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति	300/- रुपये प्रति दिन	150/- रुपये प्रति दिन
3	स्टेशन परामर्शदात्री समिति	100/- रुपये प्रति बैठक	कुछ नहीं
4	राष्ट्रीय स्तर	520/- रुपये प्रति दिन	
5	क्षे.रे.उ.प.समिति / मं.रे.उ.प.समिति / उप.रे.उ.प.समिति / रा.रे.उ.प.प	वास्तविक वाहन भाड़ा या 200/- रुपये प्रति दिन जो भी कम हो।	